रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2167] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 4, 2017/श्रावण 13, 1939
No. 2167] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 4, 2017/SRAVANA 13, 1939

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2017

का.आ. 2467 (अ).—यत: केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त, असम राज्य की सीमा से सटी मेघालय राज्य की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को दिनांक 04.05.2017 की अधिसूचना का.आ. 1403 (अ) के तहत 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यत: यह घोषणा, कि असम राज्य की सीमा से सटे मेघालय राज्य में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया जाएगा, असम राज्य एवं उपर्युक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के वाद समय-समय पर आगे बढ़ाई गई।

अत:, अब, असम की सीमा से सटे मेघालय राज्य की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत 03.08.2017 के बाद 30.09.2017 तक 'अशांत क्षेत्र' के रूप में बने रहेंगे जब तक कि इसे इससे पहले वापिस न लिया जाए।

[फा.सं. 11011/38/98-एन ई-IV]

सत्येन्द्र गर्ग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2017

S.O. 2467(E).—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared, besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering with the State of Assam as 'disturbed area' vide Notification SO 1403(E) dated 04.05.2017.

And whereas the declaration that the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Meghalaya bordering with the State of Assam shall be a 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and the aforesaid area.

Now, therefore, the 20 kms belt in the State of Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto 30.09.2017 beyond 03.08.2017, unless withdrawn earlier.

[F.No.11011/38/98-NE-IV]

SATYENDRA GARG, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.08.05 13:06:41 +05'30'